दिनांक 28.11.2011 (सोमवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा संख्या 141, उद्योग भवन में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित असाइड संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की तीसरी बैठक (वित्त वर्ष 2011-12) का कार्यवृत

.....

दिनांक 28.11.2011 को कमरा सं. 141, उद्योग भवन में डॉ राहुल खुल्लर, सचिव, भारत सरकार वाणिज्य विभाग (डीओसी) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की बैठक का आयोजन किया गया था । प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-1 पर दी गई है ।

2. श्री रवि कपूर, संयुक्त सचिव ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और ईसी को सूचित किया कि वर्ष 2011-12 के लिए असाइड स्कीम हेतु संशोधित आवंटित निधि 700.00 करोड़ रूपए है । असाइड स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस निधि का 80% अर्थात 560.00 करोड़ रू. का आवंटन असाइड स्कीम के राज्य संघटक हेतु किया गया है और कुल आवंटित राशि का शेष 20% अर्थात 140.00 करोड़ रूपए असाइड के केंद्रीय संघटक के लिए रखा गया है । आईएफडी, वाणिज्य विभाग की संस्तुति के अनुसार किए गए समायोजन के पश्चात असाइड के केंद्रीय संघटक हेतु 52.45 करोड़ रूपए की राशि अब भी उपलब्ध है ।

52.45 करोड़ रूपए की उपलब्ध राशि में से 9 आस्थगित परियोजनाओं, 1 नई परियोजना तथा 6 (3+3) चालू परियोजनाओं को अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के समक्ष विचारार्थ/समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया । किसी भी परियोजना को कार्योत्तर अनुमोदन हेतु ईसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था । ईसी द्वारा एक अन्य परियोजना पर एक अतिरिक्त कार्यसूची मद के रूप में विचार किया गया था ।

2.1. वाणिज्य सचिव ने निम्नलिखित नीतिगत निर्णयों पर बल दियाः-

2.1.1. असाइड के तहत सहायता हेतु परियोजना (परियोजनाओं) पर विचार किए जाने हेतु सभी प्रकार के कानूनी दावों से मुक्त भूमि एक पूर्वापेक्षा है ।

2.1.2. चूंकि केन्द्रीय संघटक के तहत अत्यंत सीमित संसाधन उपलब्ध हैं अतः पत्तन न्यास इत्यादि जैसी एजेंसियों द्वारा वरीयता आधार पर अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए और ऐसी परियोजनाओं को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसका वित्त पोषण लागत-भागीदारी आधार (सह-वित्तपोषण) पर किया जा सके ।

2.1.3 निधि के अनावश्यक संचय से बचने के लिए चालू वर्ष में एजेंसी की खपत क्षमता के अनुसार निधि जारी की जाएगी ।

2.1.4 एजेंसियों द्वारा दो वर्ष की निर्धारित समयसीमा /अधिकतम पूर्णावधि के भीतर परियोजना संपन्न किया जाना अपेक्षित होगा । इस संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा ।

3. तत्पश्चात, कार्यसूची मदों पर विचार किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिए गएः

3.1 आस्थगित परियोजनाएं

(लाख रू.में)

क्रं सं.	एजेंसी	परियोजना/परियोजना का प्रकार	कुल लागत	प्रदत प्रशासनिक अनुमोदन	वर्ष 2011-12 में अनुमोदित निधि
1.	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)	हीरा ग्रेडिंग एवं आभूषण जांच परियोजना की स्थापना	284.20	214.00 जीजेईपीसीः 70.20	214.00
2.	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)	दोमजुर, हावड़ा में रत्न एवं आभूषण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	1149.25	आस्थगित	.....
3.	नोएडा एसईजेड (एनएसईजेड)	एनएसईजेड नोएडा में एसडीएफ ब्लॉक " एम" का निर्माण	2143.17	1800.00 एनएसईजेडः 343.17	600.00
4.	कॉनकोर	मालनपुर, ग्वालियर में मौजूदा सीएफएस का विस्तार एवं नए रेल साइडिंग का विकास	1014.50	340.00 कॉनकोरः 674.50	340.00
5.	सी डब्ल्यू सी	एलसीएल निर्यात कार्गो हेतु द्रोणागिरीनोड जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी), नवी मुम्बई में कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना	205.05	190.87 सीडब्ल्यूसीः 14.18	190.87
6.	मोर्मुगाओ पत्तन न्यास (एमओपीटी)	जनरल कार्गो बर्थस (बर्थ सं 10 और 11) में सेवा सुविधा के रूप में पत्तन मोबाइल क्रेन की खरीद एवं उपयोग	2945.00	1300.00 एमओपीटीः 1645.00	1300.00
7.	कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी)	हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के लिए	2700.00	1350.00 केओपीटी	400.00

		लगभग एक लाख वर्ग मीटर लौह भण्डारण क्षेत्र की हार्ड-स्टैन्डिंग	1350.00		
8.	कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी)	रेलवे साइडिंग	1500.00	केओपीटी द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया था (क्र.सं 3.1.7 की वरीयता के आधार पर	.....
9.	कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी)	कोचीन पत्तन के लिए एक 25 टन क्षमता वाले ईएलएल व्हार्फ क्रेन की आपूति एवं संस्थापना	2481.00	1000.00 सीओपीटीः 1481.00	1000.00

3.2 नई परियोजनाएं

(लाख रू.में)

क्र सं.	एजेंसी	परियोजना/परियोजना का प्रकार	कुल लागत	प्रार्थित सहायता	वर्ष 2011-12 में ईसी निर्णय/अनुमोदित राशि
1.	आईडीबीआई इंटेक	**ईबीआरसी पोर्टल-डीओसी/डीजीएफटी द्वारा की गई ई-कॉमर्स पहल**	800.00	800.00 **(ब्याज मुक्त सावधि ऋण)**	आस्थगित असाइड स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल पूर्ण अनुदान ही अनुमत्य है । ब्याज मुक्त सावधि ऋण असाइड स्कीम के दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर है ।

3.3 आंशिक संस्वीकृति (चालू परियोजनाएं)

(लाख रू.में)

क्र सं.	एजेंसी	परियोजना	कुल लागत	प्रार्थित सहायता/अनुमोदित राशि	अब तक जारी की गई राशि	जारी की जाने वाली शेष राशि	वर्ष 2011-12 में राशि जारी करने के संबंध में ईसी का निर्णय
1.	मसाला बोर्ड	गुना, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क	4518.80 (2010-11)	1900.00	500.00	1500.00	500.00
2.	एम्पीडा	अम्बालापुझा में सामान्य पूर्व-प्रसंस्करण केन्द्र	393.34803	246.00+88.34803 परियोजना लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने हेतु अतिरिक्त राशि के रूप में	246.00	88.34803	88.34803
3.	एसआईडीआईसीओ	नाथुला सीमा, सिक्किम में अवसंरचना विकास	1,644.17 (2006-07)	1644.17	1636.24	7.93	07.93

3.4 अध्यक्ष की अनुमति से विचारार्थ शामिल की गई अन्य कार्यसूची मद (मदें)

अध्यक्ष की अनुमति से, अध्यक्ष केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी) ने असाइड संबंधी अधिकारप्राप्त समिति के समक्ष " पिपावाव (गुजरात) में रेल आधारित कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना" करने संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यह सूचित किया कि निगम ने गुजरात पिपावाव पत्तन लि. से 25 वर्ष के लिए पट्टे पर लगभग 90000 वर्ग मी. भूमि अर्जित है । मैं. एपीएम टर्मिनल्स प्रा. लि. द्वारा पिपावाव में अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल के विकास के पश्चात एग्जिम ट्रेड से इस पत्तन क्षेत्र में कंटेनर फ्रेट स्टेशन सुविधा की स्थापना हेतु लगातार मांग की जाती रही है । सीमाशुल्क आयुक्त, जामनगर की सिफारिशों के आधार पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है । पिपावाव पत्तन से जोड़ने वाली प्रमुख रेल लिंकेज वाली रेल कनेक्टिविटी के प्रावधान के साथ यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है ।

यह प्रस्ताव दिनांक 14.10.2011 को आयोजित असाइड संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की पिछली बैठक में प्रस्तुत किया गया था जिस पर असाइड संबंधी अधिकार प्राप्त समिति ने डीसी, काण्डला एसईजेड से इस संबंध में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था । अब डीसी, केएसईजेड ने अपेक्षित रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें इस प्रस्ताव के संबंध में असाइड के तहत 50% सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है । रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि इस सुविधा से बल्क कार्गो के निर्यातकों, विशेष रूप से आसपास के क्षेत्रों के कृषि वस्तु निर्यातकों/उपजकर्ताओं को एक ही स्थान पर लागत लाभकारी एवं बेहतर परिवहन सह भण्डारण सेवा प्रदान करने में सहायता मिलेगी । डीसी, केएएसईजेड ने यह भी निवेदन किया कि 34.51

करोड़ रूपए की अनुमानित कुल परियोजना लागत में से, सीडब्ल्यूसी द्वारा असाइड स्कीम से 50% वित्त पोषण की मांग की जा रही है और शेष 50% का वहन सीडब्ल्यूसी द्वारा अपने निजी स्रोतों से किया जाएगा ।

असाइड संबंधी अधिकार प्राप्त समिति ने यह निर्णय लिया कि वर्ष 2011-12 में असाइड के तहत सहायता (केंद्रीय संघटक) तथा निधि जारी करने (यदि कोई हो) हेतु इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ।

3.5 अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई ।

अनुबंध-I

दिनांक 28.11.2011 (सोमवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा संख्या 141, उद्योग भवन में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित असाइड संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं	प्रतिभागियों के नाम	पदनाम/संगठन
1.	श्री रवि कपूर	संयुक्त सचिव
2.	श्री अनूप वधावन	संयुक्त सचिव
3.	श्री डी.एस. ढेसी	संयुक्त सचिव
4.	श्री जे.के. दादू	संयुक्त सचिव
5.	श्री संजीत सिंह	निदेशक (राज्य प्रकोष्ठ)
6.	श्रीमती अमृत राज	निदेशक (वित्त)
7.	श्रीमती इंदिरा मूर्ति	निदेशक
8.	श्री डी.के.सिंह	अपर विदेश व्यापार महानिदेशक
9.	श्रीमती सुतपा मजूमदार	निदेशक, योजना आयोग
10.	श्री एस.सी.पाण्डा	विकास आयुक्त एनएसईजेड
11.	श्री संजीव नन्दवानी	विकास आयुक्त एफएसईजेड
12.	श्री प्रवीर कुमार	विकास आयुक्त केएसईजेड
13.	श्री वेद प्रकाश	विकास आयुक्त सीप्ज एसईजेड
14.	सुश्री सब्यासैली रे	ईडी, जीजेईपीसी
15.	श्री निर्मल बाड़मेचा	संयोजक, जीजेईपीसी
16.	श्री के.के दुग्गल	आरडी जीजेईपीसी
17.	श्री पी. मोहनसुंदरम	निदेशक, एम्पीडा
18.	श्री के.सी. कुंचेरिया	प्रमुख यांत्रिक अभियंता मोर्मूगाओ पत्तन न्यास
19.	श्री पॉल एंटोनी	अध्यक्ष, कोचीन पत्तन न्यास
20.	श्री राजेश रावत	उप निदेशक ईपीसीएच
21.	श्री एम.एल. मीणा	अध्यक्ष कोलकाता पत्तन न्यास
22.	श्री एन.एल. मंजोका	जीजीएम, कॉनकोर
23.	श्री टी.के.दोशी	निदेशक, सीडब्ल्यूसी
24.	श्री आर.एन मीणा	महाप्रबंधक, सीडब्ल्यूसी
25.	श्री के. जगन्नाथन	सहायक निदेशक, मसाला बोर्ड
26.	श्री पी.एम. सुरेश कुमार	सचिव, मसाला बोर्ड
27.	श्री राम लखन	अवर सचिव
28.	श्री डी.के हिमांशु	अनुभाग अधिकारी, राज्य प्रकोष्ठ (असाइड स्कीम)